न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 242/2018

अनवान :

1. बन्शीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र उदमी जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. चमेली पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
4. रामेश्वरी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
5. राममूर्ति पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा। जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सरजीत बिजारणिया : प्रतिवादी सं0 1 ता 5

निर्णय **दिनांक :** 30-01-2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 111/105 के खसरा सं0 32 की 2.339 है0 खसरा सं0 43 की 13.468 है0 खसरा सं0 45 की 10.749 है0 खसरा सं0 285 की 3.490 है0 कुल 30.046 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम से 1/2 हिस्सा अर्थात् 15.023 है0 बारानी खातेदारी दर्ज है जो पहले वादी के दादा उदमी व उसके भाई भोपत की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा उदमी के देहान्त होने पर उक्त भूमि में से उदमी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु प्रतिवादी रामचन्द्र कर्ता खानदान होने के चलते उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रामचन्द्र ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि जो प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम से दर्ज है, उसमें से आधी भूमि प्रतिवादी को अपने पिता उदमी से विरासतन में प्राप्त हुई है तथा आधी भूमि उसे अपने ताउ भोपत से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम दर्ज भूमि में से आधी भूमि वादी की दादालाई भूमि है।

 सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वादभूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम दर्ज भूमि में से जो रामचन्द्र को अपने पिता से विरासतन में प्राप्त हुई थी वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 को बंटवारा में प्राप्त हो गई एवं प्रतिवादी रामचन्द्र के पास उसे अपने ताऊ भोपत से मिली भूमि प्राप्त हो गई। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की वादभूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी कुल वादभूमि तन्हा रामचन्द्र के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 6 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 बंशीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम शिवदानपुरा के खाता सं0 111/105 सम्वत् 2072 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शोदानपुरा सम्वत् 2039 से 42 प्रदर्श 2 व 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शोदानपुरा सम्वत् 2052 से 55 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना तथा दादालाई कृषि भूमि होने के कारण वादी को वाद कृषि भूमि में जन्म से हक एवं अधिकार निहित होना तथा मुताबिक पारिवारिक सैटलमेन्ट के कुल वाद भूमि जिसमें से जो कृषि भूमि प्रतिवादी रामचन्द्र को अपने पिता से विरासतन में प्राप्त हुई थी वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 को बंटवारा में प्राप्त हो एवं प्रतिवादी रामचन्द्र के पास उसे अपने ताऊ भोपत से मिली भूमि प्राप्त होना अंकित किया है, जिसकी बाबत वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शोदानपुरा सम्वत् 2039 से 42 प्रदर्श 2 व 3 प्रदर्शित करवाये है। जिनमें वाद भूमि वाद के दादा उदमी खेता के नाम दर्ज जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है तथा राजीनामा में भी दावा के कथन को बल देते हुए पारिवारिक सैटलमेंट में प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम दर्ज खातेदारी 15.023 है0 भूमि में से आधी भूमि प्रतिवादी रामचन्द्र के हिस्सा में आना तथा शेष आधी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के हिस्सा की आना एवं प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 द्वारा अपना हक हिस्सा वादी बंशीलाल व प्रतिवादी कृष्णकुमार के पक्ष में त्याग करना स्वीकार किया है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में खेताराम पुत्र गंगाराम के वारिसान में पत्नि पार्वती फौत होना, दो पुत्र भोपत लावल्द कुंवारा फौत होना व उदमी फौत होना एवं उदमी की पत्नि नरमा फौत होना एवं उदमी के वारिसान में दो पुत्र रामचन्द्र व सुरतसिंह होना जिसमें रामचन्द्र के वारिसान में पत्नी गीता, दो पुत्र कृष्ण कुमार व बन्शीलाल, तीन पुत्रियां चमेला, रामेश्वरी, राममूर्ती होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 111/105 के खसरा सं0 32 की 2.339 है0 खसरा सं0 43 की 13.468 है0 खसरा सं0 45 की 10.749 है0 खसरा सं0 285 की 3.490 है0 कुल 30.046 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम से 1/2 हिस्सा अर्थात् 15.023 है0 बारानी खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के बजाय वादी बंशीलाल व प्रतिवादी 2 कृष्ण कुमार 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम 15.023 है0 दर्ज है में वादी बंशीलाल व प्रतिवादी सं0 2 कृष्ण कुमार के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 242/2018

अनवान :

1. बन्शीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र उदमी जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. चमेली पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
4. रामेश्वरी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
5. राममूर्ति पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा। जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 श्री सरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 111/105 के खसरा सं0 32 की 2.339 है0 खसरा सं0 43 की 13.468 है0 खसरा सं0 45 की 10.749 है0 खसरा सं0 285 की 3.490 है0 कुल 30.046 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम से 1/2 हिस्सा अर्थात् 15.023 है0 बारानी खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के बजाय वादी बंशीलाल व प्रतिवादी 2 कृष्ण कुमार 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम 15.023 है0 दर्ज है में वादी बंशीलाल व प्रतिवादी सं0 2 कृष्ण कुमार के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:45:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: